बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (शिवहर) 02–24/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.......................

श्री कुमार रोहित, अंचल अधिकारी, तरियानी, शिवहर के विरूद्ध समाहर्त्ता, शिवहर के पत्रांक–186/रा0, दिनांक–30.01.2025 द्वारा अपने कार्यावधि में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी CO&POP Score & Ranking में अंचल कार्यालय, तरियानी का Rank माह सितम्बर 2024 में 471 थी जो माह अक्टूबर 2024 में गिरकर 517 एवं नवम्बर में गिरकर 524 हो गई। उक्त खराब प्रदर्शन के लिए पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया। इस कार्य से इनके स्वेच्छाचारिता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, विभागीय कार्यों एवं दायित्वों के प्रति उदासीनता जैसे आरोपों के लिए आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. प्राप्त आरोप पत्र को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–683(15), दिनांक–05.05.2025 द्वारा आरोपी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री रोहित द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–15.10.2025 से विभाग में समर्पित किया गया।

5. श्री रोहित के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के साथ CO&POP Score & Ranking से संबंधित आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया गया। उपरोक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रोहित को चेतावनी संसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अतएव श्री कुमार रोहित, अंचल अधिकारी, तरियानी, शिवहर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं समर्पित स्पष्टीकरण के परिशीलन एवं समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रोहित को **"चेतावनी"** संसूचित करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (शिवहर) 02–24/2025–**..........(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..............

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, शिवहर को उनके पत्रांक–186/रा0, दिनांक–30.01.2025 के प्रसंग में/श्री कुमार रोहित, अंचल अधिकारी, तरियानी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (शिवहर) 02–24/2025–**575 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–16.4.26

प्रतिलिपि :– प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री कुमार के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

13/4/26
(संजय कुमार सिंह),
उप सचिव।

D:\ashish 2026\order\kumar rohit CO tariyani chetawani.doc